सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

(दिनांक 20 फरवरी, 2009)

छत्तीसगढ़ राज्य की तृतीय विधान सभा का यह प्रथम सत्र दिनांक 5 जनवरी, 2009 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिये सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से इस सभा की कार्यवाही गरिमा के साथ सम्पन्न हुई ।

छत्तीसगढ़ की इस तृतीय विधान सभा में 36 माननीय सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर आये हैं । मैं यहॉ यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रथम बार निर्वाचित होकर आये सदस्यों ने संसदीय परम्पराओं, प्रक्रियाओं एवं विश्वास को अपने कार्य एवं व्यवहार से सदन में स्थापित किया । मैं उन्हें इसके लिये बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल संसदीय जीवन की कामना करता हूँ । मुझे यह बताते हुये भी प्रसन्नता हो रही है कि इस तृतीय विधान सभा के लिये प्रदेश की दो करोड़ पन्द्रह लाख जनता ने नब्बे सदस्यीय सभा में ग्यारह महिला प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया है, जो कि कुल संख्या के बारह प्रतिशत से भी अधिक है और इस प्रकार महिलाओं की भागीदारी हमारी इस सभा में सुदृढ़ हुई है । मैं समस्त महिला सदस्यों को भी इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः बधाई देता हूँ और यह कामना करता हूँ और विश्वास है कि वे उनके प्रभावी कार्यों से जन–आकांक्षाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति में सफल होंगी ।

इस सभा में बड़ी संख्या में दीर्घ अनुभवयुक्त वरिष्ठ सदस्य हैं, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा में पूर्व में संसदीय भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है और मुझे विश्वास है कि उनके सुदीर्घ संसदीय ज्ञान से नव आगन्तुक सदस्य संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से परिचित होंगे । मैं अनुभवी एवं वरिष्ठ सदस्यों से भी अपेक्षा करता हूँ कि वे नव आगन्तुक सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं से अवगत कराने में अमूल्य योगदान दें ।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मण्डल प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का एकमात्र सशक्त स्थान है । तृतीय विधान सभा के इस प्रथम सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों ने जिस उच्च श्रेणी के संसदीय संस्कारों की अभिव्यक्ति की है, इससे मेरा यह विश्वास सुदृढ़ हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा आने वाले वर्षों में उच्च संसदीय मापदण्डों के प्रति निष्ठा एवं विश्वास के लिये देश में अपना पृथक स्थान बनायेंगी ।

मेरा यह मानना है कि संसदीय प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं के पालन से ही इस पवित्र मंदिर के महत्व को अक्षुण्ण बनाये रख सकते हैं । वस्तुतः यह सदन ही वह पवित्र जगह है, जहॉ पर लोक–हित एवं लोक–कल्याण हेतु पक्ष–विपक्ष के माननीय सदस्य समस्याओं के समाधान के लिये संसदीय साधना करते हैं और आप सभी माननीय सदस्य सही मायनों में छत्तीसगढ़ के विकास और सम्मान के रथ के सारथी हैं । आपके ऊपर

यह गुरूत्तरदायित्व है कि इस राज्य की विकास की दिशा को तय करें, इसलिये मेरा यह आग्रह है कि अपने दायित्वों के प्रति आप सदैव सजग और सचेत रहने का संकल्प लें ।

चूकि आम निर्वाचन के पश्चात् यह प्रथम सत्र है, इसलिये नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धति से अवगत कराने के उद्देश्य से सत्र के आरंभ में तीन दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें अनुभवी संसदविज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये गये । मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम में केवल नव निर्वाचित समस्त सदस्य ही नहीं अपितु अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति निरंतर दी और यह स्थापित किया कि जीवन में सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है । मैं समस्त नव निर्वाचित सदस्यों एवं वरिष्ठ सदस्यों का ज्ञान अर्जित करने की उनकी इच्छाशक्ति के लिये अभिनंदन करता हूँ और इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि सभा में अधिकाधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा हो, इस हेतु प्रत्येक विषय के अध्ययन के प्रति वे निरंतर अपनी अभिरूचि बनाये रखें और सभा की चर्चा के स्तर में अभिवृद्धि का निरंतर प्रयास करें । इस हेतु मेरा माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह है कि विधान सभा सचिवालय के पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ सेवा का वे अधिकाधिक लाभ उठायें ।

अनेक सदस्यों ने मुझसे यह अनुरोध किया कि प्रबोधन कार्यक्रम में वरिष्ठ संसदविज्ञों द्वारा दिये गये व्याख्यान की प्रतियॉ उन्हें उपलब्ध करायी जायें । मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रबोधन कार्यक्रम की सम्पूर्ण कार्यवाही को विधान सभा के द्वारा प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक शोध पत्रिका **'विधायन'** में एक विशेषांक के रूप में मुद्रित कराया जाकर आप समस्त माननीय सदस्यों को आज वितरित किया गया है । मुझे विश्वास है कि इस प्रकाशन का लाभ आप सबको अवश्य प्राप्त होगा ।

नव गठित इस तृतीय विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को संसदीय प्रक्रियाओं एवं पद्धति से अवगत कराने के उद्देश्य से लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति, भारत का संविधान एवं विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली वितरित की गई है ताकि माननीय सदस्य जो यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत हैं, संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति से भी गहराई से परिचित हो सकें और अपने संसदीय ज्ञान का संवर्धन कर सकें ।

मैं इस अवसर पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक समझता हूँ कि देश एवं राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों एवं आसन्न लोक सभा चुनाव को देखते हुये इस बजट सत्र को अपेक्षाकृत लघु स्वरूप दिया गया, बावजूद इसके शनिवार को भी बैठक आयोजित कर निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक सभा की बैठक की अवधि को बढ़ाते हुये सदस्यों ने अधिक से अधिक कार्यों को सभा में सम्पादित कर संसदीय व्यवस्था के प्रति समवेत् रूप से जो आस्था प्रकट की, वह प्रशंसनीय है ।

इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख करना समीचीन समझता हूँ कि इस सत्रावधि में माननीय मंत्री श्री अमर अग्रवाल को पितृशोक एवं सदन के नेता डॉ. रमन सिंह को मातृशोक का आघात सहना पड़ा । बावजूद इसके उन्होंने संसदीय व्यवस्था और राज्य के विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रदर्शित करते हुये सदन में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर जन–सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया । मैं जनसेवा के प्रति उनके समर्पण भाव की भी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में सम्पादित हुये संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा । इस सत्र में कुल 15 दिवसों में लगभग 99 घण्टे 35 मिनट चर्चा हुई । 12 बैठकों में 91 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रति दिन प्रश्नों का औसत लगभग 7.5 प्रश्नों का रहा । इस सत्र में 615 तारांकित प्रश्न एवं 379 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 994 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं । इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 319 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 68 सूचनाएं ग्राह्य हुईं । इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 67 सूचनाएं प्राप्त हुई । शून्यकाल की 92 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 60 सूचनाएं ग्राह्य और 32 सूचनाएं अग्राह्य रहीं । वर्तमान सत्र में 218 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें 77 ग्राह्य, 117 अग्राह्य एवं 24 विचाराधीन है । माननीय सदस्यों द्वारा अशासकीय संकल्प की 14 सूचनाएं दी गईं, जिनमें 2 संकल्प ग्राह्य हुये तथा दोनों संकल्प सदन में चर्चा उपरांत अस्वीकृत हुये । इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 4 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा 4 विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुये ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर 3 घण्टे 50 मिनट, वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा में 10 घण्टे 3 मिनट का समय लगा जबकि अनुदान की मॉगों पर 41 घण्टे 23 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 6 घण्टे चर्चा हुई ।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु दूरदर्शन से प्रश्नकाल का प्रसारण सायं 5.30 से 6.30 बजे तक करने के साथ, विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के साथ–साथ माननीय सदस्यों के माध्यम से आम नागरिकों को कार्यवाही देखने का अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 28 प्रतिनिधियों ने तथा 140 छात्र–छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, साथ ही सदस्यों के माध्यम से भी लगभग बारह हजार नागरिकों ने भी कार्यवाही देखी।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के संचालन में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्च हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया । दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का सीधा प्रसारण किया ।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी ।

मैं विधान सभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परिपाटी है । आगामी सत्र 20 जुलाई से संभावित है ।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत्य संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ !